ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 185-186
ISSN NO.- 2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.- 2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

शिक्षा का अधिकार अभियान, सर्व शिक्षा अभियान

1. एकता ओझा
2. डॉ0 सुदर्शन गिरि

1. शोध अध्येत्री– वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, 2. शोध निर्देशक– एसोसिएट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ0प्र0) भारत

Received-17.12.2023, Revised-23.12.2023, Accepted-27.12.2023 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांश: ***सर्वशिक्षा अभियान एक समयबद्ध तरीके से प्रारम्भिक शिक्षा का उन्नयन करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरूआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसका मुख्य लक्ष्य सन् 2010 तक 6से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। दिसम्बर 2002 को अनुच्छेद 21 अ (भाग–3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। इसका प्रचलित नारा है–'कोई न छूटे अबकी बार, शिक्षा है सबका अधिकार' दीप से दीप जलायेंगे, साक्षर देश बनायेंगे, तथा सब पढ़े, सब बढ़े।'***

कुंजीभूत शब्द– सर्वशिक्षा अभियान, प्रारम्भिक शिक्षा, संशोधन विधेयक, परियोजनाओं, सार्वभौमिक, तात्कालिक, प्रावधान, गुणवत्ता।

शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का गुणात्मक समुन्नयन किया जाना नितांत आवश्यक है। समय–समय पर विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को संचालित करके शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उन्नयन हेतु प्रयास किया जा रहा है। भारत ससरकार ने इन सपनों को पूरा करने के लिए सैद्धान्तिक और व्यवहारिक दोनों तरीकों से सकारात्मक कदम उठाए हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (एनपीई) जिसे 1992 में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत ठोस कार्य योजना के साथ मुख्यतः उच्च प्राथमिकता मिली। 21 वीं सदी में प्रवेश करने के पूर्व 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया। जोमेतिएन विश्व घोषणा पत्र (1990) में निःसंदेह सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को बल प्रदान किया गया। शिक्षा के सार्वभौमीकरण के संदर्भ में विश्व के अनेक देशों में कार्यक्रम चलाये गए। इन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा एवं आगे के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु एक विश्व सम्मेलन डकार (सेनेगल) में अप्रैल 2000 में आयोजित किया गया। विश्व श्क्षिा फोरम के नाम से विख्यात इस सम्मेलन में एक कार्य योजना तैयार की गयी जो डकार कार्य योजना 2000 के नाम से विख्यात है। वर्ष 2000 में ही संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य पर भी सहमति जताई गयी। इसमें भी डकार कार्य योजना के दो लक्ष्यों, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति एवं प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में लैंगिक विषमता पूरा करना अत्यन्त महत्वपूर्ण माना गया। दिसम्बर 2002 में अधिनियमित संविधान के भाग–।।। (मूलभूत अधिकार) में एक नया अनुच्छेद–21.। जोडकर (6–14) के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद – 21.। और उसके परिणाम स्वरुप विधान, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009य देशभर में 01 अप्रैल 2010 से लागू हो गया है जो पड़ोस के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा के पूरा होने तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। आरटीई के अनुसार (1) पड़ोसी स्कूल 3 वर्ष के अन्दर अर्थात 31 मार्च 2013 तक स्थापित किए जाने हैं, (3) अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण 5 वर्ष के अन्दर अर्थात 31 मार्च 2015 तक प्रदान किया जाना है जबकि गुणवत्ता संबंधी हस्तक्षेपों एवं अन्य प्रावधानों को तात्कालिक प्रभाव से लागू करना है।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएएस) 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बच्चों को मौलिक अधिकार बनाने वाले भारत के 86वें संविधान संशोधन के अधिवेश के अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का एक फलैगशिप कार्यक्रम है। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से आरटीई के प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा रहा है। तद्नुसार आरटीई अधिनियम 2009 की अपेक्षाओं के साथ उनको संरेखित करने के लिए एसएएस के मानदण्डों को संशोधित किया गया है। पूरे देश को शामिल करने तथा 1.1 मिलियन बस्तियों में 192 मिलियन बच्चों की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिए एसएए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है। आरटीई के संदेश को फैलाने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अर्थात 11 नवम्बर 2011 को एक वर्ष तक चलाने वाला शिक्षा का हक'' अभियान आरम्भ किया। इस अभियान का लक्ष्य बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के बारे में जागरूकता तैयार करना है।

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य :

– शिक्षा की समग्रता एवं सार्वजनिकता को दृष्टिगत रखते हुए (1) 14 वर्ष की सीमा तक के सभी बच्चों हेतु प्रथमिक शिक्षा के निर्मित कर (2) औपचारिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से प्रथमिक स्तर की शिक्षा पूर्ण होने तक सभी की प्रतिभागिता (3) सभी को न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्राप्ति के योग्य बनाना।
– युवाओं हेतु शिक्षा एवं कौशल विकास के प्राविधानों का संचालन।
– शिक्षा के क्षेत्र में लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण के सुझावों को अधिकाधिक लागू करना।
– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करने हेतु आवश्यक हस्तक्षेप करना।
– संस्कृति, संचार, विज्ञान, पर्यावरा आदि विषयक समस्त शैक्षिक गतिविधियों को विशेष महत्व देते हुए सामाजिक न्याय की भावना को विकसित करना।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- IV, Issues-30, YEAR- Oct.-Dec.-2023

निष्कर्ष– सर्वशिक्षा अभियान जीवन कौशल के साथ गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करता है। सर्वशिक्षा अभियान द्वारा बच्चों पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित किया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान के घोषित लक्ष्य के अनुसार एक निश्चित सीमा के अन्दर सभी बच्चों को शत् प्रतिशत नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्तायुक्त प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करना है साथ ही सामाजिक विषमता तथा लिंग अनुपात के भेदभाव को भी दूर करना है। इसीलिए इसका आदर्श वाक्य है– सभी के लिए शिक्षा।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986): मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली शिक्षा विभाग।
2. श्रीवास्तव रूपाली (2008): भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं, आगरा, संजय पब्लिकेशन।
3. भटनागर, मिनाक्षी (2007): शिक्षा अनुसंधान मेरठ, लायल बुक डिपो।
4. रूहेल, सत्यपाल (2007): विकासोन्मुख भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन।
5. वार्षिक रिपोर्ट, 2010–2011, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
6. वर्षिक रिपोर्ट, 2011–2012, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार।
7. प्राथमिक शिक्षा विभाग, लखनऊः राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।

*****